

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

008/2017 हरिदा अनाम जेहूडा के कां.पु.

18/7/19

पत्रावली पेश 501। वकील इतन पक्ष इपान्धित।  
इतन पक्ष की बहस सुनी गई। वक्त कथन पर  
तदनु इजाजत एका फि एतगत इजील में निर्णय  
दिनांक 20.6.2016 न्यायालय हाजा में विचारणीय  
इजील सं. 79/2017 सरकार अनाम जेहूडा के  
कानून मुताबक मांगुदात में निर्णय दिनांक 20.6.2015  
द्वारा निस्त हो चुका है।

अपीलेंट्स मातहत कालम 530 (अध्याय 3 कलम 5)  
अनुच्छेद 2 न्यायालय में प्रस्तुत वाद में पक्षकार (पी) की  
इतकी ओर से धारा 96 CPC का आवेदन बाकत  
इजील इतफते पेश एका है। इस पर विचार किया गया।  
इजीलेंट हाजा इजील के संलग्न प्रस्तुत  
दस्तावेजों से यह साबित नहीं होता है कि  
इतका कब्जा कायम इनके पिता/प्राते को कब्जा  
शुद्धि सांगत के बिना 302 में 50 वीया, इजील 5  
निर्णय के अंतर्गत वर्णित शर्त पर ही है, इसके  
पर साबित नहीं होता है कि वे इस वाद में  
वाद्युक्त शर्त के अंतर्गत निर्णय से प्रभावित /  
पीडित पक्षकार हैं। वे निर्वाधायित वाली शर्त  
में लिखित पक्षकार ही साबित नहीं हैं। इजील 5  
निर्णय वाला वाद सरकार अनाम जेहूडा के  
का.पु.मा. मांगुदात के अधक विचारणीय होकर  
निर्णय एका है। इजील 5 का इस निर्णय  
से सीधा कोई हित नहीं है। इसलिए इतका  
धारा 96 CPC के तहत प्रस्तुत आवेदन स्वीकार्य  
नहीं है। उन्हे सीधे हितकृत/प्रभावित या  
पीडित पक्षकार साबित नहीं होके न इजील  
की इजाजत नहीं है ना स्वामी लिहाजा  
प्रस्तुत इजील इजीलेंट अग्रहय होने  
से खारिज की जाती है। निर्णय मुताबक उना  
पत्रावली केतल सुपर होकर नंबर 4  
काम हो। वाद नवमील दाखिल करता हो।



राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाड़मेर